रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 20 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 29, 1944 शक संवत्) [संख्या 34

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सकें।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	745—749	3075
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	835—867	1500
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	—	975

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	14—16	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	—	
भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाँठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	421—423	975
स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-10

पदोन्नति

24 जून, 2022 ई०

सं० 35 / 2022 / 886 / सत्ताईस-10-22-100(02) / 2021—श्री शैलेन्द्र कुमार, मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) स्तर–2 (नलकूप पश्चिम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, मेरठ को मुख्य अभियन्ता यांत्रिक स्तर–1 (पुनरीक्षित पे–मैट्रिक्स लेवल–14) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा।

3—श्री शैलेन्द्र कुमार की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं० 122 / एस०बी० / 99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, वाद सं० 1240 / एस०बी० / 2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा वाद सं० 7001 / एस०एस० / 2018 रमाशंकर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं० 36 / 2022 / 887 / सत्ताईस-10-22-100(03) / 2021—श्री राजीव वार्ष्णेय, अधीक्षण अभियन्ता (यां) नलकूप मण्डल आगरा को मुख्य अभियन्ता यांत्रिक) स्तर–2 (पुनरीक्षित पे–मैट्रिक्स लेवल–13क) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा।

3—श्री वार्ष्णेय की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं० 122 / एस०बी० / 99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, वाद सं० 1240 / एस०बी० / 2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा वाद सं० 7001 / एस०एस० / 2018 रमाशंकर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं० 37 / 2022 / 888 / सत्ताईस-10-22-100(03) / 2021—श्री दिनेश कुमार मिश्र, अधीक्षण अभियन्ता (यां) केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति मण्डल–1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को मुख्य अभियन्ता यांत्रिक) स्तर–2 (पुनरीक्षित पे–मैट्रिक्स लेवल–13क) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा।

3—श्री मिश्र की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं० 122 / एस०बी० / 99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, वाद सं० 1240 / एस०बी० / 2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा वाद सं० 7001 / एस०एस० / 2018 रमाशंकर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं० 38 / 2022 / 877 / सत्ताईस-10-22-100(4) / 21—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021–22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री जयन्त मिश्र, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रु० 37,400–67,000 एवं ग्रेड पे रु० 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1,23,100–2,15,900 पे मैट्रिक लेवल–13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री मिश्रा की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 39/2022/978/सत्ताईस-10-22-100(4)/21—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021—22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री उपेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रू0 37,400—67,000 एवं ग्रेड पे रू0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1,23,100—2,14,100 पे मैट्रिक लेवल—13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री सिंह की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 40/2022/979/सत्ताईस-10-22-100(4)/21—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021—22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री विश्व विजय कृष्ण, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रू0 37,400—67,000 एवं ग्रेड पे रू0 8,700.00 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1,23,100—2,14,100 पे मैट्रिक लेवल—13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री विश्व विजय कृष्ण की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 41/2022/980/सत्ताईस-10-22-100(4)/21—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021—22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री शिव प्रसाद मौर्य, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रू0 37,400—67,000 एवं ग्रेड पे रू0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1,23,100—2,14,100 पे मैट्रिक लेवल—13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री सिंह की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 42/2022/981/सत्ताईस-10-22-100(4)/21—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021—22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री इनामुद्दीन रहमानी, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान

पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रू0 37,400–67,000 एवं ग्रेड पे रू0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1,23,100–2,14,100 पे मैट्रिक लेवल–13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री रहमानी की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3–उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/98 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 43/2022/882/सत्ताईस-10-22-100(4)/21–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021–22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री अरूण नौखरा, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रू0 37,400–67,000 एवं ग्रेड पे रू0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1,23,100–2,14,100 पे मैट्रिक लेवल–13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री नौखरा की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3–उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/98 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 44/2022/883/सत्ताईस-10-22-100(4)/21–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021–22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री राम धनी चौहान, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रू0 37,400–67,000 एवं ग्रेड पे रू0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1,23,100–2,14,100 पे मैट्रिक लेवल–13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री चौहान की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3–उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/98 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 45/2022/884/सत्ताईस-10-22-100(4)/21–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021–22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री श्याम चन्द चौधरी, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रू0 37,400–67,000 एवं ग्रेड पे रू0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1,23,100–2,14,100 पे मैट्रिक लेवल–13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री चौधरी की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3–उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/98 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 46/2022/985/सत्ताईस-10-22-100(4)/21—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021—22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री अश्वनी कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रु0 37,400—67,000 एवं ग्रेड पे रु0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1,23,100—2,14,100 पे मैट्रिक लेवल—13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री सिंह की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 47/2022/986/सत्ताईस-10-22-100(4)/21—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021—22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री जयवीर सिंह, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रु0 37,400—67,000 एवं ग्रेड पे रु0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1,23,100—2,14,100 पे मैट्रिक लेवल—13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री सिंह की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 48/2022/987/सत्ताईस-10-22-100(4)/21—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021—22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री संजय कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रु0 37,400—67,000 एवं ग्रेड पे रु0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1,23,100—2,14,100 पे मैट्रिक लेवल—13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा। श्री वर्मा की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0 722/एस0बी0/99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,
राम नारायण त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—21 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्ट्री नं०-एस०एस०पी०-4
लाइसेन्स नं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 29, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

27 जून, 2022 ई०

सं० 6081(i)/आठ-वि०भू०अ०अ० सि०नगर/अधि०भू०/2022-23—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी०जी० रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बाँसी, परगना बाँसी पूरब, ग्राम सिंहोरवा में रकबा 2.0846858 है० भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी संस्तुति प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन मान्यू रिसोर्से एण्ड टेक्नालॉजी (सीआरटी) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में काफी अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बाँसी	बाँसी पूरब	सिंहोरवा	1	0.0910374
2					20	0.001
3					11	0.055
4					12	0.1043853
5					13	0.2538218
6					14	0.1026341
7					15	0.009
8					8	0.2608367
9					33	0.0311676
10					29	0.1039846
11					32	0.0685177
12					30	0.0458084

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
13	सिद्धार्थनगर	बाँसी	बाँसी पूरब	सिंघोरवा	41	0.034089
14					42	0.2312417
15					53	0.0166769
16					54	0.0107347
17					55	0.001684
18					44	0.0446543
19					45	0.0827404
20					46	0.2206809
21					57	0.1181464
22					58	0.0788944
23					60	0.0811857
24					61	0.0249368
25					97	0.0821617
26					63	0.0884612
27					64	0.1445501
28					65	0.203256
29					66	0.1018558
30					67	0.0580303
					योग . .	2.5946856

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्रतिबंधित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर की पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 27, 2022

[Under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6081(T)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthnagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 2.5946856 hectare of land is required in the Village-Singhorva, Pargana-Bansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-

Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2–Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3–The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts. In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acquisition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/bara, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amount received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity etc. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4–No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5–Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Bansi	Bansi Purab	Singharva	1	0.0910374
2	Do.	Do.	Do.	Do.	20	0.001
3	Do.	Do.	Do.	Do.	11	0.055
4	Do.	Do.	Do.	Do.	12	0.1049853
5	Do.	Do.	Do.	Do.	13	0.2538218
6	Do.	Do.	Do.	Do.	14	0.1025341
7	Do.	Do.	Do.	Do.	15	0.009
8	Do.	Do.	Do.	Do.	8	0.2508367
9	Do.	Do.	Do.	Do.	33	0.0311878
10	Do.	Do.	Do.	Do.	29	0.1039645
11	Do.	Do.	Do.	Do.	32	0.0585177
12	Do.	Do.	Do.	Do.	30	0.0458084
13	Do.	Do.	Do.	Do.	41	0.034089
14	Do.	Do.	Do.	Do.	42	0.2312417
15	Do.	Do.	Do.	Do.	53	0.0168789
16	Do.	Do.	Do.	Do.	54	0.0167347
17	Do.	Do.	Do.	Do.	55	0.001684
18	Do.	Do.	Do.	Do.	44	0.0446643
19	Do.	Do.	Do.	Do.	45	0.0327404
20	Do.	Do.	Do.	Do.	46	0.2308609
21	Do.	Do.	Do.	Do.	57	0.1161464
22	Do.	Do.	Do.	Do.	58	0.0768844
23	Do.	Do.	Do.	Do.	60	0.0811857
24	Do.	Do.	Do.	Do.	61	0.0248368
25	Do.	Do.	Do.	Do.	97	0.0321617
26	Do.	Do.	Do.	Do.	63	0.0384812
27	Do.	Do.	Do.	Do.	64	0.1445501
28	Do.	Do.	Do.	Do.	65	0.203255
29	Do.	Do.	Do.	Do.	66	0.1016596
30	Do.	Do.	Do.	Do.	67	0.0580303
					Total ..	2.5946658

6–The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7—Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8—Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transactions of the land (i.e. sale/purchase) specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE—A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

Sd. [illegible],
Collector, Siddharthnagar.

27 जून, 2022 ई०

सं० 6089(1)/आठ-वि०भू०अ०अ० सि०नगर /अधि०सू० /2022-23—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार (कलेक्टर/समुचित सरकार) के उद्देश्य हेतु राय है कि उप मुख्य अभियन्ता (कन्स्ट्रक्शन), जनरल नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी०जी० रेल लाइन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बाँसी, परगना बाँसी पूरब, ग्राम कठौली में रकबा 1.744 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है, जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:

सेन्टर फॉर इण्डियन कम्यू रिसर्च एण्ड टेक्नालॉजी (सीआईटी) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन, प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत, तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के स्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह (पशुपालन) में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाइन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष स्रोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, अतः वे किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार

के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अल्पतम है।

अस्तु बहुशास्त्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाइन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बाँसी	बाँसी पूरब	कथौली	129	1.066
2					117	0.124
3					[illegible]	[illegible]
4					149	0.280
5					166	0.085
6					164	0.084
7					163	0.066
8					162	0.066
9					161	0.079
10					160	[illegible]
11					158	[illegible]
12					157	0.045
13					156	0.079
14					[illegible]	[illegible]
15					200	0.014
16					199	0.081
17					166	0.072
18					189	0.043
					योग	3.744

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राधिकृत भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

4—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित है अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

5—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निहित भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय, क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June [illegible]

Under sub-section (1) of section 11 of the act preliminary notification

No. 4682(1)/LA-1/S.L.A.O.-Siddharthnagar/Notification/2022-23 under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh (Collector) (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of [illegible] hectare of land is required in the Village-Baghauli, Pargana-Bansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B.G. Rail Line through Deputy Chief Engineer (General) Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submit its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March [illegible], 2022.

The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows:

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara, Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts. In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acquisition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the Village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the loss in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers believe that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining buildings from the amount received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment opportunities directly and indirectly like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity etc. Facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4—No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5—Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
[illegible]	Siddharthnagar	Bansi	Bansi Purab	Baghauli	29	.800
2	Do.	Do.	Do.	Do.	17	0.124
[illegible]	Do.	Do.	Do.	Do.	16	0.0[illegible]
4	Do.	Do.	Do.	Do.	49	0.280
5	Do.	Do.	Do.	Do.	166	0.086
6	Do.	Do.	Do.	Do.	164	0.064
[illegible]	Do.	Do.	Do.	Do.	163	0.088
8	Do.	Do.	Do.	Do.	162	0.085
9	Do.	Do.	Do.	Do.	16[illegible]	0.078
10	Do.	Do.	Do.	Do.	160	0.12[illegible]
[illegible]	Do.	Do.	Do.	Do.	56	0.144
12	Do.	Do.	Do.	Do.	15[illegible]	0.066
13	Do.	Do.	Do.	Do.	156	0.072
14	Do.	Do.	Do.	Do.	201	0.0[illegible]2
15	Do.	Do.	Do.	Do.	200	0.0[illegible]4
16	Do.	Do.	Do.	Do.	158	0.061
17	Do.	Do.	Do.	Do.	153	0.072
18	Do.	Do.	Do.	Do.	149	0.063
					Total	3.744

6—The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7—Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8—Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE—A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

Sd/- [illegible],
Collector, Siddharthnagar.

27 जून, 2022 ई0

सं0 6083(1)/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0सू0/2022-23—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा [illegible] की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार (कलेक्टर) समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कन्सट्रक्शन, जनरल नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाइन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बाँसी, परगना बाँसी पूरब, ग्राम [illegible] में रकबा 2.752835 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है, जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :

सेन्टर फॉर इण्डियन वाटर रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीआईटी) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन, प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के स्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह, खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष स्रोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार

के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रकरणगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशासीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी०जी० नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बाँसी	बाँसी पूरब	सकला	28	0.0353943
2					8	0.0093132
3					9	0.0198529
4					10	0.0118938
5					1	0.0222814
6					3	0.0218997
7					7	0.0110857
8					12	0.0166648
9					16	0.0230417
10						0.4342521
11					25	0.0541046
12					24	0.0010578
13					18	0.0241958
14					107	0.2900639
15					106	0.1612568
16					97	0.200284
17					83	0.004584
18					85	0.028
19					80	0.0413128
20					204	0.0293792
21					205	0.0405953

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
22	सिद्धार्थनगर	बांसी	बांसी पूरब	सकरा	205	0.0481057
23					233	0.0478191
24					234	[illegible]
25					235	[illegible]
26					236	0.0683356
27					239	0.3326797
28					87	0.0673164
29					237	[illegible]
					योग	2.752638

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 27, 2022

[Under sub-section of section 11 of the act, preliminary notification]

No. 6083(1)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthnagar/Notification/2022-23–Under sub-section of Section of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 2.752638 hectares of land is required in the Village-Sakra, Pargana-Bansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2–Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector, Siddharthnagar), which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3–The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows–

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts. In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural

status on the basis of interviews of families affected by land acquisition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the toy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers believes that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amount received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity etc. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4—No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5—Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area to be acquired
	2	3	4	5	6	7
						Hectares
	Siddharthnagar	Bansi	Bansi Purab	Sakra	25	0.0353843
2	Do	Do	Do	Do	8	0.0083132
	Do	Do	Do	Do	9	0.0130323
4	Do	Do	Do.	Do	10	0.0118939
5	Do	Do	Do.	Do	1	0.0222814
6	Do	Do	Do.	Do	3	0.0216997
	Do	Do	Do.	Do	7	0.01306571
8	Do	Do	Do.	Do	2	0.0188849
9	Do	Do	Do.	Do	16	0.2230417
10	Do	Do	Do.	Do	17	0.4342821
	Do	Do	Do	Do	25	0.0541048

	2	3	4	5	6	7
						Hectare
12	Sidharthnagar	Bansi	Bansi Purab	Sakra	24	0.0016578
13	Do	Do	Do.	Do	16	0.0641959
14	Do	Do	Do.	Do	107	0.2900599
15	Do	Do	Do.	Do	108	0.1612869
16	Do	Do	Do.	Do.	97	0.200294
17	Do	Do	Do.	Do.	88	0.004564
18	Do	Do	Do	Do.	85	0.028
19	Do	Do	Do.	Do.	83	0.0419129
20	Do	Do	Do	Do.	204	0.0293792
21	Do	Do	Do.	Do.	205	0.0405863
22	Do	Do	Do	Do.	206	0.0491887
23	Do	Do	Do.	Do.	233	0.0678191
24	Do	Do	Do.	Do.	234	0.[illegible]19978
25	Do	Do	Do.	Do.	235	0.0692178
26	Do	Do	Do.	Do.	236	0.0683356
27	Do	Do	Do.	Do	239	0.3125797
28	Do	Do	Do.	Do.	81	0.0573164
29	Do	Do	Do.	Do	237	0.[illegible]41207
					Total	2.752638

6- The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7- Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8- Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE- A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE
Collector, Siddharthnagar.

27 जून, 2022 ई०

सं० 6064(i)-आव-नि०भू०अ०/30440 सि०नगर अधि०सू० 2022-23-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कन्स्ट्रक्शन, जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी०जी० रेल लाइन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बांसी, परगना बांसी पूरब, ग्राम सकरी में रकबा 2.4374593 है० भूमि की आवश्यकता है

2- राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है, जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:

सेन्टर फॉर इण्डियन कॉम्यु रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सिआर्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों यथा ग्राम पंचायत, तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के स्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह, खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष स्रोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों के उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जैसे-परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी, यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रस्तावित अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुअनुशासनीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बाँसी	बाँसी पूरब	सोनखरी	29	0.1280978
2					30	0.1207098
3					42	0.0472425
4					143	0 10
5					38	0.0194221
6					24	0.0410057
7					44	0.214037
8					145	0.1619508
9					217	0.1709041
10					237	0.1700385
11					222	0.0 2
12					236	0.0244338
13					23	0.0268435
14					236	0.0583227
15					215	0.003
16					212	0.0128841
17					240	0.1255053
18					24	0.1486538
19					245	0.0802376
20					260	0.1000000
					योग	2.4374893

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये सम्पत्तीकरण, सुनवाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] opportunities directly and indirectly, like [illegible]

[illegible]

[illegible]

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition

[illegible]

SCHEDULE

Sl no	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
	Siddharthnagar	Bansi	Bansi Purab	Kheerahi	29	0.1285978
2	Do	Do	Do.	Do	30	0.1207098
	Do	Do	Do.	Do	42	0.0472426
4	Do.	Do	Do	Do	43	0.110
	Do	Do	Do.	Do	135	0.0184221
6	Do	Do	Do.	Do	74	0.0410057
7	Do	Do	Do.	Do.	44	0.2140371
8	Do	Do	Do.	Do.	45	0.1619808
9	Do	Do	Do.	Do.	217	0.1709041
10	Do	Do	Do.	Do.	237	0.1700385
	Do	Do	Do.	Do	222	0.012
12	Do.	Do	Do	Do	238	0.0244336
13	Do	Do	Do.	Do	231	0.0200439
14	Do	Do	Do.	Do	236	0.0583277
15	Do	Do	Do.	Do.	215	0.003
16	Do	Do	Do.	Do.	212	0.0128841
17	Do	Do	Do.	Do.	240	0.1265053
18	Do	Do	Do.	Do	241	0.1498538
19	Do	Do	Do.	Do	245	0.6502376
20	Do.	Do	Do	Do	265	0.1608703
					Total	2.4374893

6- The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7- Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8- Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land

from the date of publication of such notification or such time as the proceedings of land acquisition is completed without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

Sd/- [illegible]
Collector, Siddharthnagar.

27 जून, 2022 ई०

सं० 60851/आठ-[illegible] सिद्धार्थनगर (खलीलाबाद) 2022-23—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार (कलेक्टर सिद्धार्थनगर) के संज्ञान में आया है कि उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) [illegible] रेलवे गोरखपुर के माध्यम से [illegible] खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर तहसील बांसी परगना [illegible] ग्राम [illegible] में रकबा [illegible] हे० भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर सिद्धार्थनगर) को अपनी संस्तुति प्रस्तुत की गई है जिसे कलेक्टर सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:

[illegible] द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन [illegible] किया गया है। [illegible] भूमि अधिग्रहण से [illegible] के आधार पर [illegible] आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति [illegible] किया गया है। [illegible] के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों यथा ग्राम पंचायत, तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। [illegible] परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से [illegible] कृषकों [illegible] कृषि भूमि के अधिग्रहण से [illegible] के कारण आजीविका के स्रोत में [illegible] मजदूरी में कमी, [illegible] की बात [illegible] अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाइन के निर्माण से आवागमन में सुविधा [illegible] में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से [illegible] एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित [illegible] के कृषि योग्य [illegible] में कमी [illegible] है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार [illegible] की स्थिति में प्राप्त धनराशि से [illegible] का [illegible] निर्माण एवं [illegible] में [illegible] कृषि उत्पाद हेतु [illegible] कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के [illegible] की सुविधा [illegible] आवास के निर्माण [illegible] की [illegible] ही है [illegible] भी [illegible] परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण [illegible] को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई [illegible] प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जैसे [illegible] विद्युत आदि की सुविधा में [illegible] यह [illegible] है कि नई रेल लाइन परियोजना के [illegible] परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना के [illegible] सामाजिक [illegible] की तुलना में काफी अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के [illegible] अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि [illegible] है।

अतः बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बाँसी	बाँसी पूरब	सवाडाड	157	0.024[illegible]
2					159	0.0503848
3					163	0.0983116
4					165	0.0383728
5					166	0.0438936
6					167	0.053865
					168	0.062564
8					169	0.1838878
9					170	0.2229848
10					171	0.2167113
11					172	0.4064514
12					173	0.2781024
13					174	0.1783354
14					175	0.1832984
15					176	0.2183256
16					177	0.1867908
17					178	0.4847573
18					183	0.018815
					योग	2.9508208

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

[illegible]

सकता है।

[illegible]

यथा विक्रय क्रय या उस सूची में कोई और उल्लेख नहीं कर सकता है

[illegible]

ह0) अस्पष्ट
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

[illegible]

[illegible] health, [illegible]

However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4—No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5—Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
[illegible]	Siddharthnagar	Bansi	Bansi Purab	Sawadad	57	0.0241724
2	Do	Do	Do.	Do	159	0.0603846
3	Do	Do	Do.	Do	163	0.0582116
4	Do	Do	Do.	Do	165	0.0383728
5	Do	Do	Do	Do	166	0.0439936
6	Do	Do	Do	Do	167	0.053965
7	Do	Do	Do	Do	168	0.052564
8	Do	Do	Do	Do	169	0.1830679
9	Do.	Do	Do	Do	170	0.2228848
10	Do.	Do	Do	Do	171	0.2187113
[illegible]	Do.	Do	Do	Do	172	0.4384514
12	Do.	Do	Do	Do	173	0.2781024
13	Do	Do	Do.	Do	174	0.1763354
14	Do	Do	Do.	Do	175	0.1632894
15	Do	Do	Do.	Do	176	0.2183289
16	Do	Do	Do.	Do	177	0.1857909
17	Do	Do	Do.	Do	178	0.4687573
18	Do	Do	Do.	Do	189	0.018615
					Total	2.9508209

6—The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7—Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8—Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land i.e. sale/purchase specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE—A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ

09 मई, 2022

सं0-1553/जी0-167/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58 दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया के ग्राम कुम्हारपट्टी तथा सोहनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1554/जी0-248/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58 दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना खुर्जा जनपद बुलन्दशहर के ग्राम इनायतपुर उर्फ मधुपुरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1555/जी0-228/2019-20-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना गोण्डा जनपद गोण्डा के ग्राम लखीमपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1556/जी0-172/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना आंवला जनपद बरेली के ग्राम मिर्जापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1557/जी0-155/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां जनपद सीतापुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	सीतापुर	बिसवां	1-सेवता 2-भगवानपुर

मई, 2022 ई0

सं0-1854/जी0-164/59-08-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि

इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मंझनपुर परगना करारी जनपद कौशाम्बी के ग्राम खोरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1655/जी0-188/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-81-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना अठेहा जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सराया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1658/जी0-188ए/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-81-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सदर जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम गोपालपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1657/जी0-188/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-81-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना अठेहा जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सालवाहनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1658/जी0-177/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-81-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भीटी परगना मिझौड़ा जनपद अम्बेडकरनगर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
	2	3	4	5
	अम्बेडकरनगर	भीटी	मिझौड़ा	1- बैजा 2- पुरेन्दरबार

सं0-1659/जी0-226/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-81-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना जनपद औरैया के ग्राम कुदा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1660/जी0-329/58-87--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-81-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणधीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शिकारपुर, परगना पहासू जनपद बुलन्दशहर के ग्राम पगहावल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1881/जी0-228/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-51-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणधीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम उकावली मु0 मान में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1882/जी0-181/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-51-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणधीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती सदर परगना महुली पश्चिम जनपद बस्ती के ग्राम बढ़ौनी चक्के शिवपुर तथा कोहरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

12 मई, 2022 ई०

सं0-1883/जी0-247/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-51-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणधीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर परगना सिकन्दरा जनपद प्रयागराज के ग्राम चक फातमा उर्फ मायोपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1884/जी0-151/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-51-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणधीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फतेहपुर परगना कुर्सी जनपद बाराबंकी के ग्राम कुरुआ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1885/जी0-226/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-51-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणधीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना जनपद औरैया के ग्राम रूपचन्दपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1886/जी0-228/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1788/सी0एच0-1-51-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणधीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना जनपद औरैया के

ग्राम नगला दौलत में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

20 मई, 2022 ई0

सं0-1792/जी0-260ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सहजनवा परगना हसनपुर मगहर जनपद गोरखपुर के ग्राम देवापार बुगबुगईया तथा उत्तर हवेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1793/जी0-238/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नगीना परगना बढ़ापुर जनपद बिजनौर के ग्राम भारका नागला में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1794/जी0-48ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के ग्राम मुहम्मदपुर उर्फ मवारवाह में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1795/जी0-364/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुजफ्फरनगर परगना बघरा जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जुनारखेड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1796/जी0-156/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम कान्हेकुसुम तथा उसरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

01 जून, 2022 ई0

सं0-1916/जी0-166/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना सदर जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम कल्यानपुरकला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1917/जी0-247/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58 दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर परगना झूंसी जनपद प्रयागराज के ग्राम मिर्जैया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1918/जी0-201/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58 दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना कन्तित जनपद मिर्जापुर के ग्राम फकरहा तथा उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1924/जी0-155/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58 दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां जनपद सीतापुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	सीतापुर	बिसवां	1- शिवथला 2- नसीरपुर अन्दुर

सं0-1925/जी0-161/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना धुरियापार जनपद गोरखपुर के ग्राम बलिया तथा बेलपार में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1926/जी0-247/2022-23-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58 दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर परगना सिकन्दरा जनपद प्रयागराज के ग्राम पहसी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1927/जी0-232/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0

1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मवाना परगना हस्तिनापुर जनपद मेरठ के ग्राम नागलौला में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1928/जी0-189/88-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील राजातालाब परगना कसवार राजा जनपद वाराणसी के ग्राम मित्रसेनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1929/जी0-174/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ग्राम गोपालपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1930/जी0-48/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के ग्राम नेवरही में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1931/जी0-130/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां जनपद सीतापुर के ग्राम करौंदी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1932/जी0-155/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां जनपद सीतापुर के ग्राम बजेहरा नसीरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1933/जी0-159/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद के ग्राम सैदपुर खद्दर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1935/जी0-247/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर परगना झूंसी जनपद प्रयागराज के ग्राम मुकुन्दपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1936/जी0-288/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना हवेली जनपद गोरखपुर के ग्राम अहिरौली तप्पा पच्छारा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1937/जी0-226/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धनौरा जनपद अमरोहा के ग्राम शाहजहांपुर खास में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1939/जी0-153/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सलोन जनपद रायबरेली के ग्राम पृथ्वीपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

10 जून, 2022 ई0

सं0-2183/जी0-28/2022-23--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी परगना कोट जनपद बदायूं के ग्राम हैदलपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

24 जून, 2022 ई0

सं0-2280/जी0-236/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नगीना परगना बढापुर जनपद बिजनौर के ग्राम चकउदयचन्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2287/चौ0-162/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कालपी जनपद जालौन के ग्राम गढ़ीलगा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

28 जून, 2022 ई0

सं0-2288/चौ0-154/87-88—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना भोगाँव जनपद मैनपुरी के ग्राम भौकन में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2289/चौ0-247/84-2016—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर परगना सिकन्दरा जनपद प्रयागराज के ग्राम सोमापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2290/चौ0-125/88—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अमेठी परगना आसल जनपद अमेठी के ग्राम पैसहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2291/चौ0-16/84/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना परगना जगदीशपुर जनपद अमेठी के ग्राम सिधौली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2292/चौ0-201/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना कन्तित जनपद मिर्जापुर के ग्राम बैढ़वा तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2293/सी0-165/2022-23--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-68, दिनांक 07 अगस्त, 1968 तथा शासनादेश सं0 23/1(6)/1991-सी0एच0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सहसवान जनपद बदायूँ के ग्राम ताहिरपुर जाहिदपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2294/सी0-175/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-68, दिनांक 07 अगस्त, 1968 तथा शासनादेश सं0 23/1(6)/1991-सी0एच0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के ग्राम कन्द्रपखुर्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2295/सी0-188/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-68, दिनांक 07 अगस्त, 1968 तथा शासनादेश सं0 23/1(6)/1991-सी0एच0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर परगना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम केशवपुर गुरेता में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2296/सी0-164/2022-23--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-68, दिनांक 07 अगस्त, 1968 तथा शासनादेश सं0 23/1(6)/1991-सी0एच0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील गोला परगना कुकरा जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बाबरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2297/सी0-156/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-68, दिनांक 07 अगस्त, 1968 तथा शासनादेश सं0 23/1(6)/1991-सी0एच0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना शमशाबाद पूर्व जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम बीरामऊ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2298/सी0-[illegible]/2021-22--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1768/सी0एच0-1-91-68, दिनांक 07 अगस्त, 1968 तथा शासनादेश सं0 23/1(6)/1991-सी0एच0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के ग्राम निगारुज में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2299/जी0-178/80-15(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(6)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना बांसी पूरब जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम बगाहवाल तथा कुदारन में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2300/जी0-48/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(6)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना चिरैयाकोट जनपद आजमगढ़ के ग्राम घरवार में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2301/जी0-329/88-87—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(6)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शिकारपुर परगना पहासू जनपद बुलन्दशहर के ग्राम कसूमी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2302/जी0-58/2021-2022(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(6)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना शमशाबाद पूर्व जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम डूंगरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

01 जुलाई, 2022 ई०

सं0-2358/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(5)/1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना जनपद औरैया के ग्राम नगला हरीराम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

18 जुलाई, 2022 ई०

सं0-2364/जी0-26/2022-23—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1-(6)/1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी परगना कोट जनपद बदायूँ के ग्राम सिरासौल पट्टी कुंवर सहाय में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

18 जुलाई, 2022 ई0

सं0-2546/जी0-328/34-क-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-81-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 -(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शिकारपुर परगना पहासू जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अनौना में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-2547/जी0-28/2022-23(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-81-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 1 -(5) 1991-टी0सी0आर0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी परगना कोट जनपद बदायूँ के ग्राम कल्लपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

रणवीर प्रसाद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-2 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2022 ई0
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-एस०एस०पी०/एल० 4
लाइसेन्स नं०. डब्लू०पी०. 41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 29, 1944 शक संवत्)

भाग 4

कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

वर्ष 2022 की हाईस्कूल कम्पार्टमेन्ट, इम्प्रूवमेन्ट एवं इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्ट परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के लिये

परीक्षा कार्यक्रम

दिनाँक तथा परीक्षा समय

दिवस तथा दिनांक	समय	विषय तथा प्रश्नपत्र हाईस्कूल	विषय तथा प्रश्नपत्र इण्टरमीडिएट
1	2	3	4
शनिवार 27 अगस्त 2022 ई०	प्रातः 8—00 बजे से 11- 15 बजे तक	हिन्दी, प्रारम्भिक हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी (नया पाठ्यक्रम), संस्कृत, पालि, गणित, गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये), विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन, वाणिज्य, चित्रकला, कृषि, गृह विज्ञान (बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है), कम्प्यूटर	

1	2	3	4
शनिवार 27 अगस्त, 2022 ई०	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक		हिन्दी, सामान्य हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी (नया पाठ्यक्रम), अरबी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, संगीत गायन, संगीत वादन, चित्रकला (आलेखन), चित्रकला (प्राविधिक), रंजनकला, समाज शास्त्र, कम्प्यूटर, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र (नया पाठ्यक्रम), व्यवसाय अध्ययन (नया पाठ्यक्रम), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)–प्रथम प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–1 के लिये), कृषि वनस्पति विज्ञान–द्वितीय प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–1 के लिये), कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान–तृतीय प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–1 के लिये), कृषि अभियंत्रण–चतुर्थ प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–1 के लिये), कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी–पंचम प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–1 के लिये), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)–षष्टम प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–2 के लिये), कृषि अर्थशास्त्र–सप्तम प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–2 के लिये), कृषि जन्तु विज्ञान–अष्टम प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–2 के लिये), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान–नवम प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–2 के लिये), कृषि रसायन विज्ञान–दशम प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–2 के लिये), सामान्य आधारिक विषय, फल एवं खाद्य संरक्षण–प्रथम प्रश्नपत्र, पाकशास्त्र (कुकरी)–प्रथम प्रश्नपत्र, परिधान रचना एवं सज्जा–प्रथम प्रश्नपत्र, परिधान रचना एवं सज्जा–द्वितीय प्रश्नपत्र, परिधान रचना एवं सज्जा–चतुर्थ प्रश्नपत्र, परिधान रचना एवं सज्जा–पंचम प्रश्नपत्र, बैंकिंग तथा कन्फेक्शनरी–प्रथम प्रश्नपत्र, बैंकिंग तथा कन्फेक्शनरी–चतुर्थ प्रश्नपत्र, टेक्सटाइल डिजाइन–पंचम प्रश्नपत्र, बुनाई तकनीक–प्रथम प्रश्नपत्र, बुनाई तकनीक–द्वितीय प्रश्नपत्र, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध–प्रथम प्रश्नपत्र, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध–तृतीय प्रश्नपत्र, पुस्तकालय विज्ञान–पंचम प्रश्नपत्र, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित)–प्रथम प्रश्नपत्र, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित)–द्वितीय प्रश्नपत्र, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित)–पंचम प्रश्नपत्र, रंगीन फोटोग्राफी–प्रथम प्रश्नपत्र, रंगीन फोटोग्राफी–द्वितीय प्रश्नपत्र, रंगीन फोटोग्राफी–तृतीय प्रश्नपत्र, रंगीन फोटोग्राफी–पंचम प्रश्नपत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन–प्रथम प्रश्नपत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन–द्वितीय प्रश्नपत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन–तृतीय प्रश्नपत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन–चतुर्थ प्रश्नपत्र, आटोमोबाइल्स–प्रथम प्रश्नपत्र

1	2	3	4
शनिवार 27 अगस्त 2022 ई०	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक		आटोमोबाइल्स–चतुर्थ प्रश्नपत्र, डेरी प्रौद्योगिकी–चतुर्थ प्रश्नपत्र, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी–प्रथम प्रश्नपत्र, फसल सुरक्षा सेवा–प्रथम प्रश्नपत्र, पौधशाला–प्रथम प्रश्नपत्र, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण–प्रथम प्रश्नपत्र, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण–द्वितीय प्रश्नपत्र, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण–तृतीय प्रश्नपत्र, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण–चतुर्थ प्रश्नपत्र, बैंकिंग–प्रथम प्रश्नपत्र, बैंकिंग –तृतीय प्रश्नपत्र, आशुलिपि एवं टंकण हिन्दी–प्रथम प्रश्नपत्र, आशुलिपि एवं टंकण हिन्दी–द्वितीय प्रश्नपत्र, आशुलिपि एवं टंकण हिन्दी–तृतीय प्रश्नपत्र, आशुलिपि एवं टंकण हिन्दी –चतुर्थ प्रश्नपत्र, आशुलिपि एवं टंकण हिन्दी–पंचम प्रश्नपत्र, सचिवीय पद्धति–प्रथम प्रश्नपत्र, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी–प्रथम प्रश्नपत्र, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी–तृतीय प्रश्नपत्र, कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टीनेन्स–प्रथम प्रश्नपत्र, बहीखाता तथा लेखाशास्त्र (पुराना पाठ्यक्रम)–(वाणिज्य वर्ग के लिये), गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी (पुराना पाठ्यक्रम)–(वाणिज्य वर्ग के लिये)।

दिव्यकान्त शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी०एस०यू०पी०–21 हिन्दी गजट–भाग 4–2022 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी०एस०यू०पी०–53 मा०शि०प०–20-08-2022–502 प्रतियां ([illegible] / डी०टी०पी० / आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–पी०/एस०एम०–14
लाइसेन्स सं०–डब्लू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 29, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE OF WITHDRAWAL

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ORIGINAL JURISDICTION]

Election Petition no. 15 of 2019

(U/s 109(2) of the R. P. Act, 1951)

Shri Raghav Lakhanpal .... *Petitioner*

VERSUS

Haji Fajal-ur-Rehman and 9 others .... *Respondent*

Election Petition against the election of Haji Fajal-ur-Rehman to the House of People General Election, 2019 from the 01, Saharanpur Parliamentary Constituency,

Whereas an Election Petition has been presented to this court by the above named petitioner in which he has made the withdrawal application and that the said application is fixed for hearing on 24th day of August, 2022.

Any one or other person desires of supporting or opposing the order/decision on the said withdrawal application, should appear before the court in person or by his advocate on or before the date fixed for the hearing of the withdrawal application.

Take notice that in default of entering appearance by anyone on the within said time, the withdrawal application will be heard and determined.

Given under my hand and the seal of the Court this 05th day of August, 2022.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Deputy Registrar,
High Court, Allahabad.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता जी के घर का नाम सरोज पाण्डेय है जब कि आधार कार्ड में मेरी माता जी का नाम दुर्गावती देवी अंकित है त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल सर्टीफिकेट में मेरी माता जी का घर का नाम अंकित हो गया है उपरोक्त दोनों नाम मेरी माता जी का ही है। भविष्य में मेरी माता जी को दुर्गावती देवी पत्नी राम अक्षा के नाम से जाना जाय।

हिमांशु पाण्डेय,
ग्राम-आहर, पो०-सोनहा,
तहसील-भानपुर,
जिला-बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री दिव्यांशी साहू के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम बरखा साहू अंकित हो गया है जो त्रुटिपूर्ण है। मेरा सही नाम वर्षा साहू पत्नी दीप साहू है। बरखा साहू एवं वर्षा साहू पत्नी दीप साहू एक ही महिला है। मुझे वर्षा साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

वर्षा साहू,
पत्नी दीप साहू,
निवासिनी–17/83न्यू,
लश्कर लाइन पुराना बैरहना,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री स्नेहा साहू के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम बरखा साहू अंकित हो गया है जो त्रुटिपूर्ण है मेरा सही नाम वर्षा साहू पत्नी दीप साहू है। बरखा साहू एवं वर्षा साहू पत्नी दीप साहू एक ही महिला है। मुझे वर्षा साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

वर्षा साहू,
पत्नी दीप साहू,
निवासिनी–17/83न्यू,
लश्कर लाइन पुराना बैरहना,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स-अली राइस मिल पता–कोठा निकट केमरी, जिला-रामपुर (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 31 जुलाई, 2022 को श्री नावेद मंसूर पुत्र मुन्ने अली, निवासी-मो० तकिया, केमरी, जिला-रामपुर व श्री मो० अजमल पुत्र अकबर अली निवासी-मो० तकिया, केमरी, जिला रामपुर व श्री मो० अफरोज कैफी पुत्र रफीक अहमद निवासी-मो० समाधान (कुरैशियान), केमरी, जिला रामपुर व श्री नबी हसन पुत्र स्व० काजी सुलेमान निवासी-इमामबाड़ा, केमरी, जिला रामपुर व श्री सदाकत अली पुत्र शौकत अली निवासी-मो० तकिया केमरी, जिला रामपुर व श्री जहीर अहमद पुत्र श्री सब्बीर अहमद निवासी-मो० तकिया केमरी, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अगस्त, 2022 को श्री रईस अहमद पुत्र श्री नसीरुद्दीन निवासी मोहल्ला मानुल्ला नगर, रामपुर व श्री हजूर अहमद पुत्र श्री इस्माईल निवासी इमामबाड़ा, केमरी, जिला रामपुर व मो० हनीफ पुत्र श्री नसीरुद्दीन निवासी-मो० मानुल्ला नगर, रामपुर शामिल हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री मो० अनवर अली, श्री रईस अहमद, श्री हजूर अहमद व श्री मो० हनीफ रह गये हैं।

साझेदार,
मो० अनवर अली,
फर्म मैसर्स-अली राइस मिल
पता–कोठा निकट केमरी,
जिला-रामपुर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि हम साझेदार सरिता रस्तोगी पत्नी स्व० सुशील कुमार रस्तोगी तथा शोभित रस्तोगी पुत्र स्व० सुशील कुमार रस्तोगी निवासीगण 14/20 टी०बी० सप्रू रोड, प्रयागराज, फर्म डी०एस०बी० एसोसिएट्स से दि० 18 जुलाई, 2022 को फर्म से रिटायर हो गये हैं तथा इस तिथि से हम फर्म डी० एस०बी० एसोसिएट्स से कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा। हम दोनों पार्टनर के स्थान पर रंजन केसरवानी पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी 181/88, कटरा, प्रयागराज, लवकुश केसरवानी पुत्र स्व० लक्ष्मी दास केसरवानी निवासी 835 कर्नलगंज, प्रयागराज, संजय केसरवानी पुत्र बद्री प्रसाद केसरवानी 49/23 न्याय मार्ग, प्रयागराज, देवेन्द्र केसरवानी पुत्र सतीश कुमार गुप्ता निवासी 82 ए०डी०ए० कालोनी, मम्फोर्डगंज, प्रयागराज, व सतीश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० हरनारायण गुप्ता निवासी 49/15 फ्लैट नं० 301 क्लाइव रोड, प्रयागराज नये साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं। ये पाँचों साझेदार जिस तरह से चाहें वैसे व्यापार करें, फर्म का नाम बदलें या फर्म के कार्यालय का पता बदलें हम दोनों पुराने साझेदार को कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी।

सरिता रस्तोगी,
पार्टनर,
डी०एस०बी० एसोसिएट्स।

सूचना

मेरी पुत्री निमस प्रजापति के CBSC बोर्ड 10वीं के अंकतालिका प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश मेरा व मेरी पत्नी का नाम

विपिन प्रजापति व नेहा प्रजापति गलत अंकित हो गया है जबकि मेरा सही नाम विपिन कुमार व मेरी पत्नी का सही नाम उषा है।

विपिन कुमार पुत्र स्व० श्री रामसिंह,
निवासी-ग्राम नलहेड़ा गुर्जर,
भगवानपुर, जिला-हरिद्वार।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स कृष्णा कान्ट्रैक्टर, मशीलिया शिवपार हरदोई की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें पांच साझेदार श्री बलराम गुप्ता, श्री दीपक कुमार गुप्ता, श्री जय किशन गुप्ता, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री सुधीर कुमार थे, जिसमें से तीन साझेदार श्री जय किशन गुप्ता, श्री सुरेन्द्र कुमार एवं श्री सुधीर कुमार आपसी सहमति से फर्म की साझेदारी से अलग हो रहे हैं।

साझेदार,
बलराम गुप्ता,
साझेदार कृष्णा कान्ट्रैक्टर,
जिला-हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आदित्य फिलिंग स्टेशन पता ग्राम व पोस्ट-मझेरा, तहसील गोला गोकर्णनाथ, जिला-लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1-अनुराग तिवारी 2-छाया तिवारी

दिनांक 23-07-2022 से साझेदारों की आपसी सहमती द्वारा फर्म को बंद किया जा रहा है। एतएव द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा गया है।

छाया तिवारी,
साझेदार,
मेसर्स आदित्य फिलिंग स्टेशन,
ग्राम व पोस्ट-मझेरा, तहसील गोला गोकर्णनाथ,
जिला-लखीमपुर खीरी-262804।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स जे०के० रोड लाइन्स, भवन मुंगी लोनार बस अड्डा हरदोई की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें दो साझेदार श्री जय किशन गुप्ता एवं श्री विजय शंकर गुप्ता थे, जिसमें एक नये साझेदार श्री विनीत गुप्ता फर्म की साझेदारी में नये शामिल हो रहे हैं।

साझेदार,
जय किशन गुप्ता,
साझेदार जे०के० रोड लाइन्स,
जिला-हरदोई।

पी०एस०यू०पी०–21 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज।